Reckitt plc 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, United Kingdom
टेली: +44 (0) 1753 217 800 फैक्स: +44 (0) 1753 217 899 www.rb.com

तृतीय पक्ष की आचार संहिता

1. उद्देश्य और दायरा

1.1 उद्देश्य

तृतीय पक्ष की आचार संहिता ("संहिता") का उद्देश्य रैकिट के साथ और उसके लिए दुनियाभर में काम कर रहे विश्वभर में तृतीय पक्षों और उनके कर्मचारियों ("तृतीय पक्षों") को नैतिक व्यावसायिक आचरण से संबंधित उच्चतम स्तर के सिद्धांत और अपेक्षाएं प्रदान करना है। रैकिट में, हमारा मानना है कि साझेदारी सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम समाधान पा सकते हैं, यही कारण है कि हम अपने ग्राहकों के लिए मूल्य निर्मित करने हेतु विश्वसनीय रिश्ते बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

1.2 दायरा

संहिता रैकिट के लिए काम करने वाले सभी तृतीय पक्षों और उनकी ओर से सेवाएं देने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। हालांकि संहिता हितों के टकराव से संबंधित रैकिट के सिद्धांतों और अपेक्षाओं को निर्धारित करती है, तो भी कर्मचारियों को यह भी समझना चाहिए कि हम एक जटिल विनियामक वातावरण में काम करते हैं और कानूनी ज़रूरतें उस जगह के अनुसार बदलती हैं जहां हम व्यवसाय करते हैं।

यह प्रत्येक तृतीय पक्ष की ज़िम्मेदारी है कि वह उन पर लागू होने वाले सभी कानूनों और विनियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करे। यह देखते हुए कि वे कानून और विनियम अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में अलग-अलग हो सकते हैं, यह संहिता व्यावसायिक आचरण के संबंध में रैकिट के न्यूनतम अनुपालन मानकों को तय करती है। हालांकि, जहां पर स्थानीय मानकों के लिए अधिक कठोर नियंत्रणों की आवश्यकता होती है, वहां स्थानीय नीतियों को लागू करना और उनका पालन करना होगा। सभी स्थितियों में, लागू स्थानीय कानूनों का हमेशा पालन करना होगा।

2. नीतिगत वक्तव्य

तृतीय पक्षों के साथ मजबूत और विश्वसनीय रिश्ते बनाना रैकिट के लिए उच्च प्राथमिकता है। हम स्वस्थ जीवन और खुशहाल घरों के साथ एक बेहतर दुनिया बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे तृतीय पक्षों के साथ उचित मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हमें तगड़े आंतरिक नियंत्रणों और अनुपालन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होती है। हम जिन तृतीय पक्षों के साथ काम करते हैं, उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि वे हमारे भरोसे को बनाए रखने और जोखिम एक्सपोजर को कम करने में मददगार बनें।

सभी व्यावसायिक संवाद (इंटरैक्शन) ऐसे खुले, ईमानदार लेनदेन के आधार पर किए जाते हैं जो दिखने और तथ्य दोनों में ही नैतिक हैं। तृतीय पक्षों को कभी भी रिश्वत या सुविधा भुगतान नहीं मांगना चाहिए, और सभी रोजगार प्रथाओं को बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला होना चाहिए।

3. हमारे मूल्यों को जीना

रैकिट के मूल मंत्र हमारी परिधि (कम्पास) में निर्धारित आपस में गुंथे हुए सिद्धांत और व्यवहार हैं।

रैकिट में, व्यवसाय ईमानदारी से और निष्ठा के साथ किया जाता है। हमारे तृतीय पक्षों (थर्ड पार्टीज) के साथ, हमें **हमेशा, सही काम करने** की जरूरत होती है।

हमारा विजन एक स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया की निरंतर कोशिश में सुरक्षित रखना, रोगमुक्त करना और विकसित करना है। यह लड़ाई उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वच्छता, तंदुरुस्ती और पोषण तक पहुँच को कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक अधिकार बनाने की है।

हम अपने तृतीय पक्षों से **ग्राहकों और लोगों को प्राथमिकता देना** - मानवाधिकारों का सम्मान करने, विविधता को महत्व देने और उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करते रहने की अपेक्षा करते हैं।

हम अपने तृतीय पक्षों से उत्पादों में सुधार के लिए **नए अवसर तलाशें** की भी अपेक्षा करते हैं, ताकि रैकिट के लिए सकारात्मक, सतत व्यावसायिक वृद्धि प्रदान कर सकें। हम अपने तृतीय पक्षों से, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए **साझी सफलता का निर्माण करने,** हमारे साथ निकटता से मिलकर काम करने की भी अपेक्षा करते हैं, जिससे हमारे लोगों, ग्राहकों, साझेदारों, समुदायों और शेयरधारकों को समान लाभ मिले। इसके अलावा, हम चाहते हैं कि हमारे तृतीय पक्ष, हर वह काम जो वो कर सकते हैं उसमें **उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें**।

यह संहिता हमारे लिए हमारे मूल्यों को रोजमर्रा के व्यवहार में उतारने, और कानूनसम्मत, नैतिकतापूर्वक और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के लिए मार्गदर्शिका का काम करती है।

4. अपेक्षाएं

4.1 अपेक्षाएं

हम अपेक्षा करते हैं कि यह संहिता उन सभी तृतीय पक्षों, जिनके साथ हम काम करते हैं, और उनके कर्मचारियों द्वारा लागू की जाएगी। हम अपेक्षा करते हैं कि तीसरे पक्ष का वरिष्ठ प्रबंधन मिसाल कायम करके अगुवाई करेगा और सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार होना चाहिए और उपयुक्त दस्तावेजों को बनाए रखा जाना चाहिए। रैकिट को आवधिक समीक्षाओं और साइट ऑडिट के माध्यम से इस संहिता के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित कराने का अधिकार है।

4.2 स्पीक अप सेवा

रैकिट में एक स्पीक अप सर्विस है जो तीसरे पक्षों को इस संहिता, रैकिट आचार संहिता और किसी भी लागू कानून या विनियम को लेकर गैर-अनुपालन के बारे में अपनी चिंताओं को उठाने में सक्षम बनाती है। रैकिट की ओर से स्पीक-अप सर्विस का उपयोग करने वालों को गोपनीयता और गुमनामी प्रदान की जाती है। कंपनी एक गैर-प्रतिशोध नीति को भी अपनाती है: इसकी स्पीक-अप सेवा के माध्यम से नेकनीयती से कोई चिंता जाहिर करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके खुलासे के परिणामस्वरूप प्रतिकार या जुल्म से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा।

तीसरे पक्षों के पास कोई रिपोर्ट बनाने के कई विकल्प हैं:

- ऑनलाइन, रैकिट के समर्पित ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल के जरिए, जो कि https:// www.rbspeakup.com पर उपलब्ध है
- टेलीफोन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टोल-फ्री लाइनों के माध्यम से जो कि https://www.rb.com/responsibility/policies-andreports/whistleblower-policy/ पर उपलब्ध हैं;
- अपनी स्वयं की आंतरिक व्हिसलब्लोअर हॉटलाइन के माध्यम से, अगर ऐसी लाइन मौजूद हो तो। हम अपेक्षा करते हैं कि रैकिट से संबंधित कोई भी मामला हमें तुरंत रिपोर्ट किया जाए;

  रैकिट के किसी प्रबंधक या पर्यवेक्षक को सीधे।

रैकिट किसी भी जाहिर की गई चिंता की जांच करेगी और तृतीय पक्षों से किन्हीं भी जांचों में सहयोग करने की अपेक्षा करती है, जिसमें सभी जानकारियों तक और पूछताछ के लिए आवश्यक कर्मियों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। रैकिट कभी भी केवल उन जानकारियों का अनुरोध करेगी जो इस जांच से संबंधित हैं और जब तक खुलासा करने की कानूनी बाध्यता न हो, तीसरे पक्ष के किन्हीं भी दस्तावेजों को गोपनीय के रूप में व्यवहार करेगी।

एक बार जांच पूरी हो जाने पर, रैकिट तृतीय पक्ष के साथ निष्कर्षों पर चर्चा करेगी और अगले कदमों और उपचारी कार्रवाइयों पर सहमत होगी (जहां रिपोर्ट तृतीय पक्ष के कार्यों से संबंधित है)। हम रिपोर्ट सबमिट करने वाले व्यक्ति को भी जवाब देते हैं।

रैकिट कदाचार और अनुचित कार्य के दृष्टांतों को गंभीरता से लेती है। इस संहिता के अनुपालन में कोई भी ज्ञात या संदिग्ध विफलता की तुरंत रैकिट को सूचना दी जानी चाहिए। ऐसा करने में विफलता को इस संहिता का उल्लंघन माना जाता है और उसकी रैकिट द्वारा उचित तरीके से अनुशास्ति की जाएगी, जिसमें शामिल है तृतीय पक्ष को उल्लंघन का उपचार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता, संपूर्ण या आंशिक रूप से अनुबंध को समाप्त करना, और रैकिट द्वारा वहन की गई किन्हीं भी अतिरिक्त हानियों, लागतों या खर्चों के लिए नुकसान का दावा, जो कि किसी भी तरह से उल्लंघन के कारण हैं।

4.3 समुचित छानबीन और निगरानी

हम तृतीय पक्षों से इस संहिता के अनुपालन में प्रक्रियाएं और नियंत्रणों की व्यवस्था रखने की अपेक्षा करते हैं। जहां उपयुक्त हो, रैकिट तृतीय पक्षों के साथ अपने सक्रिय संबंधों की निगरानी के भाग के रूप में तृतीय पक्षों पर जोखिम-आधारित समुचित छानबीन (ड्यू डिलीजेंस) करेगी जिसमें वे भी शामिल हैं जिनके साथ रैकिट का एक नए व्यावसायिक रिश्ते में जुड़ने का प्रस्ताव है। हम तृतीय पक्षों से रैकिट के समुचित छानबीन के प्रयासों को पूरा करने के लिए संपूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं। यदि रैकिट निर्धारित करती है कि किसी तृतीय पक्ष ने इस संहिता का उल्लंघन किया है, तो उसे तृतीय पक्ष को उपचारात्मक योजना को लागू कराने की आवश्यकता हो सकती है, या, कुछ परिस्थितियों में, वह तृतीय पक्ष के साथ संबंधों को निलंबित या समाप्त कर सकती है।

5. निष्ठा और दूसरों के प्रति सम्मान

5.1 कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार

रैकिट एक ऐसा वैश्विक संगठन हैं जो सभी क्षेत्रों में संस्कृतियों की भिन्नता को मान्यता देता है। अपनी परिधि (कम्पास) के अनुरूप, हम तृतीय पक्षों से अपने संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह दूसरों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करने, सांस्कृतिक विभिन्नताओं और परंपराओं को मान्यता देने, और सहिष्णुता तथा खुले, ईमानदार संचार के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपेक्षा करते हैं।

सभी कर्मचारियों को उनके काम के एवज में उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। मजदूरी, सवेतन अवकाश, ओवरटाइम भुगतान और लाभों सहित पारिश्रमिक को कम से कम न्यूनतम कानूनी आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। तृतीय पक्षों को किसी भी संरक्षित श्रेणी के आधार पर भेदभाव या प्रताड़ना में कतई न तो शामिल होना और न तो उसका समर्थन करना चाहिए, जिसमें नस्ल, रंग, भाषा, जाति, राष्ट्रीय मूल, मूलनिवासी स्थिति, यौन रुझान, संघ की सदस्यता, राजनीतिक संबद्धता, गर्भावस्था, पूर्वसैनिक स्थिति (वेटरन स्टेटस) या उम्र शामिल है।

तृतीय पक्षों को एक ऐसा कामकाजी माहौल बनाना और बनाए रखना होगा जो भय, प्रताड़ना और हिंसा से मुक्त हो। हिंसा का कोई भी कार्य या खतरा, और ऐसा कोई भी मौखिक या शारीरिक आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो, एक भयप्रद, अपमानजनक, दुर्व्यवहारजनक, या शत्रुतापूर्ण कामकाजी माहौल बनाए, या यथोचित रूप से बनाता हुआ माना जाए। इसके अलावा अवांछित यौन बढ़तों, यौन एहसानों के लिए अनुरोध, और यौन प्रकृति के अन्य अवांछित मौखिक या शारीरिक आचरण की सख्त मनाही है।

5.2 स्वास्थ्य और सुरक्षा

हम तृतीय पक्षों से उनके कर्मचारियों, ठेकेदारों तथा आगंतुकों (विजिटर्स) के लिए काम पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हैं। अपने साथ ही उन लोगों लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की समुचित देखभाल करना तृतीय पक्षों का कर्तव्य है जो अपने कार्य या चूक से प्रभावित हो सकते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य या सुरक्षा का जोखिम पहचाना जाता है, तो ऐसे जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय अवश्य

अमल में लाए जाने चाहिए, साथ ही स्टाफ को अपनी नौकरी सुरक्षित रूप से करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

5.3 मूलभूत मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और आधुनिक गुलामी

रैकिट का मानना है कि मानवाधिकार एक सार्वभौमिक आवश्यकता हैं और वह मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक (मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा सहित) और मौलिक सिद्धांतों और कार्य पर अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ("ILO") की घोषणा में व्यक्त उन अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि सभी तृतीय पक्ष उन कानूनों और नियमों का पूर्ण अनुपालन करें।

किसी भी परिस्थिति में किसी तृतीय पक्षों को जबरिया या बाल मजदूरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। संदेह से बचने के लिए, सभी कर्मचारी 15 साल की उम्र या स्थानीय अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिए कानूनी न्यूनतम आयु से अधिक के होने चाहिए, जो भी अधिक हो। सभी कर्मचारी मध्यावकाश, सीमित कार्य घंटों और सवेतन अवकाश के लिए हकदार होने चाहिए, जो कि, कम से कम, स्थानीय कानूनों के अनुसार, ओवरटाइम स्वैच्छिक आधार पर ही दिया जाना चाहिए। रैकिट अपने व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखला में आधुनिक गुलामी का उन्मूलन करने के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है और इसके परिणामस्वरूप तृतीय पक्ष से गुलामी, दासता, जबरिया मजदूरी और मानव तस्करी के प्रति शून्य सहिष्णुता रखने की अपेक्षा की जाती है।

5.4 उत्पाद सुरक्षितता

रैकिट यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता उसके उत्पादों की सुरक्षा पर भरोसा कर सकें। यह सुनिश्चित करना तृतीय पक्षों की ज़िम्मेदारी है कि रैकिट को आपूर्ति किए गए उत्पाद रैकिट के विनिर्देशों, इसके गुणवत्ता तथा सुरक्षा मानदंडों, स्थानीय मानकों और विनियमों को पूरा करते हों और अपने अभीष्ट उपयोग के लिए सुरक्षित हों। रैकिट को आपूर्ति किए गए उत्पादों में न तो कोई भी बदलाव या संशोधन नहीं किए जा सकते (उनके विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों के स्रोत या प्रकृति सहित) और न ही उनके विनिर्माण में उपयोग की गई प्रक्रिया में, जब तक कि रैकिट की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।

हमारे ग्राहकों का स्वास्थ्य और कल्याण हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए हमारे उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। इस कारण से, यह प्रत्येक तृतीय पक्ष की ज़िम्मेदारी है कि वह समयबद्ध तरीके से रैकिट को किसी भी उत्पाद सुरक्षितता और गुणवत्ता संबंधी समस्या की सूचना दे। रैकिट द्वारा उपयोग किए गए किसी उत्पाद या सामग्री के उपयोग के संबंध में असंतुष्टि का संकेत करते हुए प्राप्त किसी भी फीडबैक, जिसमें सुरक्षा, गुणवत्ता या कार्य-प्रदर्शन शामिल है, उसके बारे में रैकिट को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। तृतीय पक्ष के समस्या से अवगत होने के 24 घंटे के भीतर, रिपोर्ट रैकिट के औषधि सुरक्षा अधिकारी को अवश्य भेजी जानी चाहिए।

6. निष्ठा और अन्य हितधारकों के प्रति सम्मान

6.1 सटीक अभिलेख रखना

तृतीय पक्षों को सटीक और समयबद्ध जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और वे अपनी जानकारी के ईमानदारीपूर्वक और समुचित रूप से दस्तावेजीकरण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। पद और नौकरी की जिम्मेदारियों के बावजूद, सभी तृतीय पक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उनके बही-खाते और अभिलेख सटीक हैं। बही-खातों और अभिलेखों को सभी लागू कानूनों और लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप ही बनाए रखना होगा। तृतीय पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुपालन ऑडिट, जांच या जब डेटा अनुरोध के जवाब में निजता कार्यालय द्वारा आवश्यक हो, रैकिट को निरीक्षण के लिए संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।

सटीक अभिलेख रखने (रिकॉर्ड कीपिंग) से यह सुनिश्चित होता है कि व्यावसायिक लेनदेन पारदर्शी हैं और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में कोई वास्तविक या सप्रयास भागीदारी नहीं है। तृतीय पक्षों से ऑडिटर, जांचकर्ताओं या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जा सकती है।

6.2 गोपनीय जानकारी की रक्षा करना

तृतीय पक्षों की रैकिट या इसके उपभोक्ताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों या अन्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्वामित्व वाली, गोपनीय, व्यक्तिगत या निजी जानकारियों तक पहुंच हो सकती है। तृतीय पक्षों को गोपनीय जानकारी का सिर्फ अपने अभीष्ट उद्देश्यों और अपने कर्तव्यों के भाग के रूप में ही गोपनीय जानकारियों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे रैकिट के अंदर या बाहर किसी को भी गोपनीय जानकारी का खुलासा कतई नहीं करेंगे, सिवाय तबके जब कि खुलासा कानून के द्वारा या किसी विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। तृतीय पक्षों का एक कर्तव्य हर समय गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करना है, जिसमें शामिल है कार्यस्थल और काम के घंटों के बाहर और रोज़गार की समाप्ति के बाद भी।

6.3 डेटा निजता

तृतीय पक्षों के लिए आवश्यक है कि वे उन सभी डेटा निजता कानूनों और विनियमों का पालन करें जो उनके परिचालन वाले देशों में लागू हैं। साथ ही उन्हें डेटा संरक्षण संबंधी सुरक्षा उपायों का भी पालन करना होगा जो रैकिट के साथ उनके अनुबंध में उल्लिखित हैं और उसे किसी भी ऐसे उप-ठेकेदार तक विस्तारित करना होगा जिसके साथ वे काम करते हैं।

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, तृतीय पक्षों के पास व्यक्तिगत डेटा की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच, प्राप्ति, संग्रहण, प्रबंधन या उपयोग हो सकता है। इनमें से कुछ डेटा में संवेदनशील जानकारियां शामिल हो सकती हैं जो कि कर्मचारों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शोध विषयों, विक्रेताओं और प्रतिस्पर्धियों से संबंधित हो सकती हैं - ऐसे डेटा की सार-संभाल सावधानी के साथ करनी होगी।

हर समय डेटा की सुरक्षा उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से सुरक्षित रखकर की जानी चाहिए। तृतीय पक्ष के कर्मियों की किसी भी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच तब तक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि इसके लिए कोई स्पष्ट व्यावसायिक आवश्यकता न हो और पहुंच के लिए प्राधिकारिता प्रदान न की गई हो।

तृतीय पक्षों को किसी भी व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग, चोरी, नुकसान या अनधिकृत खुलासे से बचाव के लिए यथोचित सतर्कता बरतनी होगी। किसी साझाकरण से पहले रैकिट द्वारा प्रदान की गई लिखित सहमति के साथ, रैकिट के किसी भी व्यक्तिगत डेटा के साझाकरण की सूचना रैकिट को दी जाएगी (जब तक कि अन्यथा कानून द्वारा आवश्यक न हो)।

तृतीय पक्षों के पास एक सुरक्षा और डेटा उल्लंघन प्रतिक्रिया प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए ताकि किसी डेटा उल्लंघन के जवाब में 24 घंटे के भीतर, त्वरित, प्रभावी और व्यवस्थित प्रतिक्रिया की जा सके। किसी भी डेटा उल्लंघन और संबंधित घटना प्रतिक्रिया गतिविधियां PrivacyOffice@rb.com को सूचित की जानी चाहिए।

6.4 जानकारी सुरक्षा

तृतीय पक्षों को ऐसे जानकारी सुरक्षा नियंत्रण अपनाने होंगे जो जानकारी के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए रैकिट की आवश्यकताओं को पूरा करें, जिनमें वे भौतिक और आईटी परिसंपत्तियां शामिल हैं जो रैकिट, रैकिट के आपूर्तिकर्ताओं और अन्य तृतीय पक्षों से प्राप्त की गई हैं।

जब उचित होगा तो रैकिट तृतीय पक्षों को सुरक्षा मूल्यांकनों से गुजरने और अन्य सुरक्षा ऑडिट/ आश्वासन समीक्षाओं तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक बना सकती है।

6.5 मीडिया और जनता के साथ संवाद करना

तृतीय पक्ष रैकिट की ओर से कार्य नहीं करेंगे या न बोलेंगे, रैकिट के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, या रैकिट को जिम्मेदार ठहराई जा सकने वाली कोई राय तब तक व्यक्त नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए।

जहां तृतीय पक्ष जनता और मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि सभी संबंधित तथ्यों को सटीक रूप से, पूरी तरह और एक समयबद्ध और व्यापक रूप में सूचित करें। तृतीय पक्षों को कभी भी बाहरी संचार में रैकिट का संदर्भ कतई नहीं देना चाहिए जब तक कि रैकिट के जनरल काउंसल और बाहरी मामलों के समूह प्रमुख द्वारा अग्रिम में लिखित रूप से स्पष्ट मंजूरी न प्रदान कर दी गई हो और किसी भी प्रतिकूल मीडिया को रैकिट को सक्रिय रूप से सूचित करना चाहिए जो कि प्रकाशित होने जा रहा है या प्रकाशित हो चुका है।

6.6 हित के टकराव

तृतीय पक्षों के लिए रैकिट को कोई सेवा प्रदान करने से पहले और निरंतर आधार पर ऐसे हित के टकराव को पहचानना और हल करना आवश्यक है जो उनके व्यवसाय करने के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। हितों का टकराव तब पैदा होता है जब सामाजिक और वित्तीय सहित व्यक्तिगत हित, उनकी अपने काम को वस्तुनिष्ठ और उचित रूप से करने की क्षमता में हस्तक्षेप करते हैं। इसमें शामिल हैं प्रति-पक्ष (काउंटर पार्टी), परिवार के सदस्य, मित्र या ऐसे व्यवसाय के बीच व्यावसायिक सौदे करने से बचना जिसमें उनका या परिवार के किसी सदस्य या मित्र का पर्याप्त हित या लाभ हो।

कोई भी वास्तविक या संभावित हितों का टकराव जो रैकिट के साथ व्यावसायिक संबंधों के दौरान पैदा होता है या कोई संवेदनशील स्थिति जो रैकिट के लिए या उसके साथ या अन्यथा तृतीय पक्ष के काम पर असर डाल सकती है, उसकी सूचना तुरंत तृतीय पक्ष के रैकिट संपर्क को दी जानी चाहिए। परिस्थितियों के आधार पर, तृतीय पक्ष को हितों का टकराव या संवेदनशील स्थिति का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है।

6.7 उपहार और मनोरंजन

रैकिट यह मानती है कि व्यावसायिक उपहार और आतिथ्य का आदान-प्रदान करना व्यावसायिक रिश्ते बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन वे तब समस्याजनक हो सकते हैं जब वे वास्तविक या कथित हितों के टकराव को निर्मित करते हैं या अन्यथा किसी व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करते नजर आते हैं। किसी वर्तमान या संभावित ग्राहक, प्रतिस्पर्धी, या आपूर्तिकर्ता को उपहार, छूट, अनुग्रह, या सेवाएं देना या उससे प्राप्त करना वर्जित है, यदि उस लाभ में किसी व्यक्ति के व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है। नकद या नकद के समकक्ष, जैसे कि वाउचर या छूट देना, भी वर्जित है।

एक न्यूनतम के रूप में तृतीय पक्षों को उस क्षेत्राधिकार में व्यावसायिक उपहार और मनोरंजन के संबंध में सभी स्थानीय कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करना होगा जिसमें व्यावसायिक परिचालन किया जा रहा है। सभी उपहार और मनोरंजन पेशकशें प्रकृति में अवश्य ही उचित होनी चाहिए, व्यावसायिक तर्क के लिए उपयुक्त होनी चाहिए तथा प्रकृति और मूल्य में अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रमों, खेल अनुभवों और छुट्टियों के लिए टिकटों को एक अनुचित उपहार के रूप में देखा जाता है जिन्हें तृतीय पक्षों द्वारा दिया और लिया नहीं जाना चाहिए।

6.8 प्रतिस्पर्धा क़ानून

तृतीय पक्षों को ऑफलाइन और ऑनलाइन परिचालन सहित अपनी व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिस्पर्धा/स्पर्धारोधी कानूनों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में अंजाम देनी होंगी। प्रतिस्पर्धा क़ानून एक क्षेत्रातीत प्रभाव के साथ तैयार किए जाते हैं और इन कानूनों के उल्लंघन का दंड व्यवसाय के लिए भी और उससे जुड़े व्यक्तियों दोनों के लिए गंभीर हो सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण कॉरपोरेट और व्यक्तिगत जुर्माना और कारावास शामिल है।

तृतीय पक्षों को कभी भी कीमत-निर्धारण, लागतों, उत्पाद आपूर्ति, ग्राहक, विपणन या क्षेत्र, भावी रणनीतियों के संबंध में गैर सार्वजनिक जानकारियों या दोनों में से किसी भी पक्ष की वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील अन्य जानकारियों को लेकर प्रतिस्पर्धियों के साथ सहमत होना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनकी चर्चा या उन्हें साझा नहीं करना चाहिए, न ही अपनी बाजार की स्थिति को किसी प्रतिस्पर्धी की वैध गतिविधियों को गैरकानूनी रूप से प्रभावित करने के लिए उपयोग करना चाहिए।

Reckitt plc 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, United Kingdom
टेली: +44 (0) 1753 217 800 फैक्स: +44 (0) 1753 217 899 www.rb.com

7. वैश्विक बाजार-स्थल (मार्केटप्लेस) में निष्ठा और सम्मान

7.1 रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार

रैकिट में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शून्य सहिष्णुता है। सभी तृतीय पक्षों को रिश्वतखोरी-रोधी और भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का उन सभी देशों में पालन करना चाहिए जहां वे संचालन करते हैं, जिसमें शामिल है यूनाइटेड किंगडम ब्राइबरी एक्ट 2010, द यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक लेनदेन में विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों की रिश्वतखोरी से मुकाबले पर आर्थिक सहयोग एवं विकास सम्मेलन ("OECD सम्मेलन") के लिए संगठन के अनुसार प्रत्येक हस्ताक्षरित देश द्वारा लागू रिश्वतखोरी-रोधी कानून। इनमें से कई कानून क्षेत्रातीत प्रभाव के साथ तैयार किए गए हैं और वे रैकिट और तृतीय पक्षों पर लागू हो सकते हैं जहां पर भी वे व्यवसाय करते हैं। इन कानूनों के उल्लंघन के दंड रैकिट, तृतीय पक्षों और संलिप्त होने वालों के लिए गंभीर हो सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कॉरपोरेट और व्यक्तिगत जुर्माने और कारावास शामिल है।

रिश्वत में किसी ऐसे कार्य के लिए प्रलोभन के रूप में किसी लाभ की पेशकश, वादा, देना, स्वीकार करना या याचना करना शामिल हो सकता है, जो गैरकानूनी, अनैतिक या भरोसे को तोड़ने वाला है। प्रलोभन पैसे, उपहार, ऋण, शुल्क, पुरस्कारों या अन्य लाभों (कर, सेवाएं, दान, पक्ष समर्थन इत्यादि) का रूप ले सकते हैं। रिश्वतों में ऐसे सुविधा भुगतान भी शामिल होते हैं जो कि सार्वजनिक अधिकारियों को आमतौर पर अनौपचारिक भुगतान हैं ताकि सार्वजनिक अधिकारी की आम जिम्मेदारी वाले काम के निष्पादन को तेज किया जा सके। ये रिश्वतें हैं, इसके बावजूद कि ये किसी खास देश में "व्यवसाय करने के तरीके" का हिस्सा हो सकते हैं। तृतीय पक्षों कोई भी सुविधा भुगतान तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके ऐसा करने में विफल होने पर उनके कर्मचारी को गंभीर व्यक्तिगत जोखिम का सामना न करना पड़े।

तृतीय पक्ष भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या अन्य गतिविधि (अनुचित भुगतान सहित) में संलग्न नहीं होंगे जो कि रैकिट के लिए या उसके साथ काम करते समय भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी में संलिप्तता हो सकती है। सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कोई भी व्यवहार विशेष रूप से एक उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है और तृतीय पक्षों को ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें शामिल है स्थानीय कानूनों और विनियमों को समझना, उनके अनुपालन में दस्तावेजीकरण और रैकिट से पूर्व अनुमति प्राप्त करना शामिल है। रैकिट को उसकी ओर से काम कर रहे तृतीय पक्षों द्वारा भुगतान की गई रिश्वतें या सुविधा भुगतानों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

7.2 आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग

रैकिट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों सहित आर्थिक अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता (ज़ीरो टॉलरेंस) है। रैकिट आर्थिक अपराध को वित्तीय और आर्थिक लाभ के लिए किए गए एक गैरकानूनी कार्य के रूप में परिभाषित करती है। रैकिट मनी लॉन्ड्रिंग को धन या संपत्तियों के ऐसे आदान-प्रदान के रूप में परिभाषित करती है जो कि आपराधिक रूप से ऐसे धन या अन्य संपत्तियों के लिए प्राप्त किया गया था जो कि 'स्वच्छ' नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा धन भी शामिल होता है जो कि आतंकवाद में इस्तेमाल होता है इसे चाहे जैसे भी हासिल किया गया हो। रैकिट सिर्फ उन्हीं तृतीय पक्षों के साथ व्यवसाय करती है जो कि वैध व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न हैं, जिनका फंड गैर-कानूनी स्रोतों से प्राप्त या उनके माध्यम से हासिल नहीं किया जाता है।

तृतीय पक्ष ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं करेंगे या किसी ऐसे अनुबंध में प्रविष्ट नहीं होंगे जो कि रैकिट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अपराधों में शामिल कर सकता हो। तृतीय पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त या आतंकी वित्तपोषण से संबंधित धन को स्वीकार, हस्तांतरण, परिवर्तन या छिपा करके, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण गतिविधियों, कर चोरी, धोखाधड़ी या ऐसे आचरण में संलग्न नहीं होंगे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कानूनों का उल्लंघन करता है।

7.3 व्यापार प्रतिबंध

तृतीय पक्षों को उन देशों में सभी लागू आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध कानूनों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है जिनके भीतर वे परिचालन करते हैं, जिसमें शामिल हैं: निर्यात नियंत्रण, व्यापार प्रतिबंध और घाटबंदी (एम्बार्गो) और कानूनी आर्थिक प्रतिबंध जो दुनियाभर में कुछ देशों, संस्थाओं, या व्यक्तियों के साथ गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। जहां तृतीय पक्ष किसी ऐसे प्रतिबंध के उल्लंघन की मौजूदगी से अवगत होते हैं, या संदेह करते हैं, जो कि उनके व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, तो उन्हें तुरंत अपने रैकिट व्यावसायिक साझेदार को सूचित करना होगा।

7.4 नकली-रोधी और अवैध उत्पाद

रैकिट अपने ग्राहको को केवल उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए तृतीय पक्षों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रैकिट के उत्पाद नए, प्रमाणित और पूर्णतः वॉरंटी योग्य हैं जिनके साथ सटीक और नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। रैकिट अपनी आपूर्ति श्रृंखला में नकली और जाली उत्पादों, साथ ही साथ अनधिकृत समानांतर आयात को समाप्त करने के लिए काम करती है। तृतीय पक्षों को नकली उत्पादों के साथ जुड़ने से सख्ती से बचना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इस बात की निगरानी के लिए पर्याप्त नियंत्रण स्थापित किए गए हों कि क्या उनकी आपूर्ति श्रृंखला में ऐसी गतिविधियां होती हैं। नकली या जाली रैकिट उत्पाद प्रदान करने वाले या रैकिट उत्पादों के अनधिकृत समानांतर आयात करने वाले तृतीय पक्षों के साथ रैकिट के संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे और/या अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा जैसा भी लागू हो।

7.5 पर्यावरण का संरक्षण

रैकिट अपने संचालनों तथा उत्पादों के लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और तृतीय पक्षों से भी ऐसा करने अपेक्षा रखती है। तृतीय पक्षों के लिए सभी लागू पर्यावरण कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने और किसी भी घटना या स्थिति को रिपोर्ट करना आवश्यक है जिनके परिणामस्वरूप पर्यावरण कानूनों, विनियमों का उल्लंघन हो सकता है या जिनमें उनके स्थानीय व्यावसायिक साझेदार के लिए प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की सामग्री है।

7.6 भेदिया कारोबार और प्रतिभूति कानून

किसी संलग्नता के दौरान, तृतीय पक्षों को रैकिट, उसके परिचालनों, उसके ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या व्यावसायिक साझेदारों के संबंध में किसी अप्रकाशित अंदरूनी जानकारी या कीमत संवेदी जानकारी तक पहुंच हो सकती है। हम अपनी सामर्थ्य के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाकर निवेशक का भरोसा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारी प्रतिभूतियों में कारोबार एक दक्ष और सूचित बाजार में होता है। रैकिट, अंदरूनी जानकारी के खुलासे को, या जब वह उसके पास में हो तो रैकिट प्रतिभूतियों में कारोबार, को बर्दाश्त नहीं करती है। अंदरूनी जानकारी ऐसी जानकारी है जो कि सटीक है; प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रैकिट प्रतिभूतियों से संबंधित है; सार्वजनिक नहीं की गई है; और यदि इसे सार्वजनिक किया गया तो इसका महत्वपूर्ण असर कंपनी की प्रतिभूतियों पर होने की संभावना है।

केवल रैकिट ही नहीं, ऐसी जानकारी किसी भी स्रोत से आ सकती है। ऐसी जानकारी का उपयोग किसी तृतीय पक्ष, कर्मचारी या व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए कतई नहीं किया जाना चाहिए। तृतीय पक्षों को ऐसी जानकारी का खुलासा परिजनों और मित्रों सहित, दूसरे लोगों को करने से सख्ती से मना किया गया है। तृतीय पक्ष रैकिट की प्रतिभूतियों में कारोबार करने के लिए ऐसी जानकारी का उपयोग करने के लिए भी प्रतिबंधित हैं। तृतीय पक्षों को हर समय भेदिया कारोबार और प्रतिभूति कानून के अनुपालन के संबंध में रैकिट के सिद्धांतों, नीतियों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा।

8. फोकस में: वितरक

8.1 प्रचार (प्रमोशन)

प्रचार (प्रमोशन) के लिए रैकिट के दृष्टिकोण को हमारे नैतिक विपणन लोकाचार और हमारे सभी निर्णयों में अपने उपभोक्ताओं को सामने रखने की हमारी कामना के द्वारा मजबूती दी गई है। रैकिट के सभी उत्पाद उनकी गुणवत्ता, प्रभावशीलता, सुरक्षा और कीमत के आधार पर बेचे जाते हैं। सभी प्रचार और सूचनात्मक संचार अवश्य ही सत्य होने चाहिए, और विशिष्ट दावे निष्पक्ष और पुष्ट होने चाहिए। वितरक हमारे उत्पादों के विपणन के लिए सिर्फ सबसे नवीनतम सामग्री का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं और उन्हें कभी भी ऑफ-लेबल उपयोग या ऐसे उत्पादों का प्रचार कतई नहीं करना चाहिए जिन्हें लाइसेंस न मिला हो।

रैकिट के स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का वितरण (खरीद, बिक्री और/या प्रचार) करने वाले तृतीय पक्षों को सभी रैकिट संबंधित नीतियों को समझना और पालन करना होगा, जैसे कि शिशु और बाल पोषण प्रतिज्ञा, स्तन-दूध विकल्प के बारे में वैश्विक नीति और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों (HCPs) और स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों (HCEs) के साथ संवाद की वैश्विक नीति और उसकी मानक परिचालन प्रक्रियाएं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स)। रैकिट के स्वास्थ्य उत्पादों के प्रचार और वाणिज्यीकरण के लिए समर्पित तृतीय पक्षों को इससे पहले कि वे रैकिट के नाम पर या उसकी ओर से कोई सेवा प्रदान करना शुरू करें, उन्हें इन नीतियों में अवश्य ही प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मांगे जाने पर इस प्रशिक्षण का प्रमाण रैकिट को अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों का पालन करने मे विफलता तृतीय पक्षों के साथ मौजूदा संबंधों की समयपूर्व समाप्ति और संभावित कानूनी कार्रवाइयों तक ले जा सकती है।

8.2 HCPs, HCEs और GOs के साथ संवाद

HCPs, HCEs और सरकारी अधिकारियों (GOs) के साथ संवाद जिसमें मूल्य की कोई भी चीज शामिल है (उदा. सेवाओं का भुगतान, उपहार, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रायोजन, उत्पाद के सैम्पल, अनुदान, या अन्य कोई लाभ) उसमें रैकिट को बदले में लाभ पहुंचाने के लिए प्रलोभन या रिश्वत के रूप में समझे जाने का जोखिम है। जिम्मेदार व्यवहार की महत्ता को पहचानते हुए हम यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक अनुपालन मानक और प्रक्रिया अपनाते हैं कि वितरक:

- व्यवसाय अर्जित करने के लिए या रैकिट उत्पादों के उपयोग, प्रिस्क्राइब, खरीद, प्रभावित या सिफारिश करने के लिए या पिछली खरीद को पुरस्कृत करने के लिए HCPs, GOs या HCEs को कभी भी प्रलोभन की पेशकश या प्रदान नहीं करेंगे;
- HCPs और HCEs के साथ उस तरीके से संवाद करेंगे जो कि सभी लागू कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में हो। वितरकों का कार्रवाइयां वैश्विक HCPs और HCEs नीति और मानक परिचालन प्रक्रियाओं से बंधी हैं;
- जो रैकिट की ओर से GOs के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें किसी भी स्थानीय आवश्यकता को समझना और उसका पालन करना चाहिए तथा अनुपालन का प्रमाण रखना चाहिए; और
- कभी भी उत्पादों के नमूने या उत्पाद को रैकिट उत्पादों के उपयोग, प्रिस्क्राइब, खरीद, प्रभाव या सिफारिश के लिए प्रलोभन के रूप में व्यावसायिक मूल्यांकन (PPE) के लिए नहीं देंगे। वितरकों को किसी भी स्थानीय कानून या विनियम को समझना और उसका पालन करना चाहिए (उद्योग की आचार संहिता या दिशानिर्देशों सहित) जो कि नमूनों के उपयोग और प्रावधान और PPE से संबंधित हैं। कोई नमूने या PPE वितरण को दर्ज करना होगा और इसका प्रमाण अनुरोध के अनुसार रैकिट को प्रदान करना होगा।

8.3 रैकिट की तरफ से काम करना

एक एजेंट के रूप में या रैकिट की ओर से काम कर रहे किसी भी वितरक को इसलिए उस बाजार में रैकिट का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जहां उनका व्यवसाय संविदात्मक रूप से संचालित किया जा रहा हो। वितरकों को खुद को अवश्य ही उच्च नैतिक मानकों पर रखना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो किसी भी तरह से रैकिट की साख खराब करता हो। वितरकों को न तो कभी रैकिट के उत्पादों को किसी अन्य नाम के तहत और न ही उन देशों या क्षेत्रों में बेचना चाहिए जहां उन्हें संविदात्मक रूप से ऐसा करना आवश्यक नहीं है, और न तो अन्य उत्पादों को रैकिट के नाम के तहत बेचना चाहिए, न ही उन ब्रांडों या व्यावसायिक नामों के अंतर्गत काम करना चाहिए जो कि जानबूझकर रैकिट के समान हैं। सभी रैकिट संचार अवश्य ही स्पष्ट रूप से रैकिट के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए और किसी भी तरह से ग्राहक को गुमराह नहीं करने चाहिए।

9. तीसरे पक्षों के लिए सहायता

हम उन तृतीय पक्षों को उच्च नैतिक मानदंडों पर रखते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। हम यह भी समझते हैं कि हमारी तृतीय पक्षों को उन मानदंडों को लागू करने और बनाए रखने में मदद करने की ज़िम्मेदारी है। कॉर्पोरेट नीतियों (जो, जो समय-समय पर, तृतीय पक्षों पर लागू हो सकती

हैं) को Reckitt.com पर समर्पित नीतियों के पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा, हमारी वैश्विक नैतिकता एवं अनुपालन की टीम इस बारे में किसी भी अनिश्चितता का उत्तर देने के लिए उपलब्ध है कि क्या कोई गतिविधि या नीति इस संहिता का अनुपालन करती है या नहीं। टीम से ईमेल के माध्यम से AskCompliance@rb.com पर संपर्क किया जा सकता है।

10. कॉर्पोरेट सुरक्षा

जब भी कोई सुरक्षा संबंधी घटना होती है तो हमारी कॉर्पोरेट सुरक्षा टीम से संपर्क किया जाना चाहिए और वह भी घटना के 24 घंटों के भीतर। जिन मामलों को अवश्य ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए उनमें शामिल हैं, लेकिन उन्हीं तक सीमित नहीं हैं: सभी तरह की चोरियां (कार्गो चोरियों सहित); धोखाधड़ी; शारीरिक हिंसा; अपहरण; उत्पीड़न या दादागीरी; जालसाजी, उत्पादों के साथ छेड़छाड़/जानबूझकर मिलावट का कोई भी कार्य और संपत्ति को आपराधिक क्षति। इन मामलों को सीधे हमारी वेबसाइट पर या कि निम्न को संबोधित ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट किया जा सकता है: AskSecurity@rb.com.

10. गैर-अनुपालन के लिए प्रतिबंध

इस दस्तावेज में उल्लिखित इस संहिता, कोई अन्य नीति या SOPs और/या किसी स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून या विनियम जो कि रैकिट या उसके कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है, उसके अनुपालन में विफल रहने पर रैकिट तृतीय पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जिसमें शामिल है अनुबंध की समाप्ति और/या मुकदमा, जैसा भी लागू हो।